देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

रेफरेंस संख्या –2022/mmp/13 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 5 फरवरी 2022

जेडीए ने ढहायी भूमाफियाओ के सोने की लंका!!!!

"कमला रेजीडेंसी"

भाग-2

सैंकड़ों परिवारों के जीवन भर की कमाई खा गए भूमाफिया!!!

राजस्व गाँव जयसिंहपूरा,तहसील सांगानेर,जयपुर के खसरा संख्या 563,568 कुल 9 बीघा 14 बिस्वा सरकारी और कृषि पर बसायी जा रही थी यह अवैध कॉलोनी!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन 11 मे स्थित राजस्व गाँव जयसिंहपुरा,तहसील सांगानेर,जयपुर के खसरा संख्या 563,568 कुल 9 बीघा 14 बिस्वा पर स्थित सरकारी जमीन और अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की कृषि भूमि पर बसायी जा रही थी अवैध कॉलोनी "कमला रेजीडेंसी"

जैसा कि आपको इस प्रकरण के पहले अंक मे बताया गया था कि जेडीए के ज़ोन 11 मे स्थित राजस्व गाँव जयसिंहपुरा,तहसील सांगानेर,जयपुर के खसरा संख्या 563,568 कुल 9 बीघा 14 बिस्वा पर स्थित सरकारी जमीन और अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी "कमला रेजीडेंसी" बसायी जा रही है|साथ ही इस बात का भी खुलासा किया गया था कि इस 9 बीघा 14 बिस्वा पर बदनपुरा(फकीरो की डूंगरी)गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के आज की तारीख के प्रोविजनल अलोटमेंट लैटर वितरित किए जा रहे है,जो कि अवैध एवं गैर-कानूनी है|

इस अवैध कॉलोनी मे करीब 150 से अधिक प्लॉट काट कर सैंकड़ों मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों की जीवन भर की जमा-पूंजी हड़प कर लेने का प्रकरण हमारे द्वारा जेडीए के संज्ञान मे लाया गया था|सूत्रों के अनुसार इनमे से अधिकतर को उपभोक्ताओं को बेच भी दिये गए है|

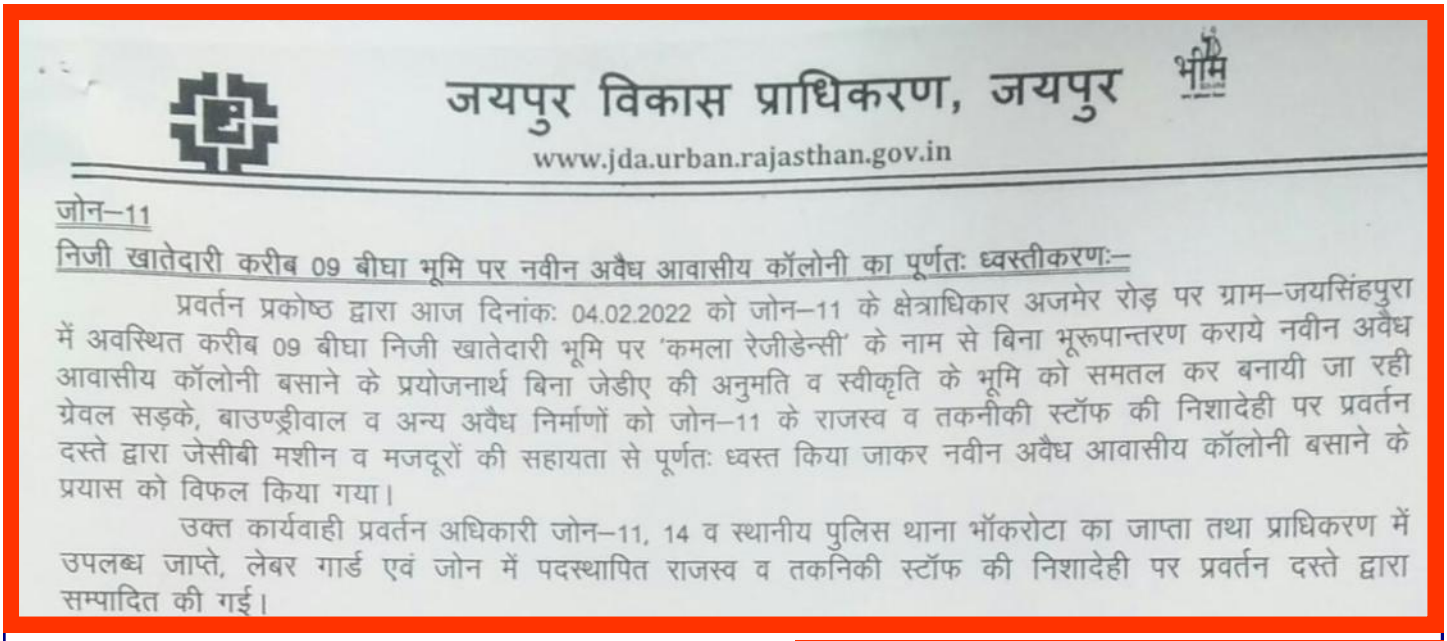

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जोन–11

निजी खातेदारी करीब 09 बीघा भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी का पूर्णतः ध्वस्तीकरणः–

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 04.02.2022 को जोन–11 के क्षेत्राधिकार अजमेर रोड़ पर ग्राम–जयसिंहपुरा में अवस्थित करीब 09 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर 'कमला रेजीडेन्सी' के नाम से बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के भूमि को समतल कर बनायी जा रही ग्रेवल सड़के, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माणों को जोन–11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन–11, 14 व स्थानीय पुलिस थाना भॉकरोटा का जाप्ता तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

जेडीए द्वारा पूर्णतया ध्वस्त की गयी अवैध कॉलोनी कमला रेजीडेंसी

इस प्रकरण मे जेडीए द्वारा बताया गया कि इस अवैध कॉलोनी कमला रेजीडेंसी को कुछ भूमाफियाओ द्वारा बिना भूरूपान्तरण कराये बसाया जा रहा था,जो कि अवैध है,जेडीए प्रवर्तन द्वारा जेसीबी और मजदूरो की सहायता से इस भूमि पर बनी ग्रेवल सड़कों,बाउंड्रीवाल,और अन्य अवैध निर्माणों को पूर्णतया ध्वस्त कर दिया गया है|

अवैध कॉलोनियों के निर्माण भी ढहाए

नींदड़ रोड...निर्माणाधीन 13 अवैध दुकानें ध्वस्त

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. जेडीए ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए नींदड़ रोड पर निर्माणाधीन 13 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। ग्राम बोयतावाला में बिना जेडीए की अनुमति के व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। 25 दिसम्बर को भी कार्रवाई कर इनको ध्वस्त किया गया था। मौका पाकर फिर निर्माण शुरू कर दिया। इसके अलावा जोन-13 के चौमूं में चंदा रिसोर्ट के पास सात निर्माणाधीन दुकानों को सील कर दिया। 18 दिसम्बर को नोटिस देकर निर्माण कार्य रोकने और अवैध निर्माण हटाने के जेडीए ने निर्देश दिए थे, लेकिन निर्माण नहीं हटाया। उसके बाद जेडीए ने इसको सील कर दिया। यहां कार्रवाई के दौरान टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। हालांकि, थाना पुलिस ने लोगों को हटाया।

अजमेर रोड स्थित ग्राम-जयसिंहपुरा में नौ बीघा निजी खातेदारी भूमि पर कमला रेजीडेन्सी और डिग्गी रोर पर नौ बीघा में ही हरिहन्त विहार के नाम से बसाई जा रही अवैध कॉलोनी के निर्माण टीम ने ढहाए।

जवाब मांगते सवाल?

उन सैंकड़ों परिवारों का क्या होगा जिनहोने इस अवैध कॉलोनी मे भूखंड खरीद लिए थे?

जेडीए की इस कार्यवाही से यह तो साफ हो गया है कि बिना भूरूपान्तरण करवाए और बिना जेडीए की अनुमति लिए,इस जमीन पर पुनः कॉलोनी नहीं बसायी जा सकती|ऐसे मे सवाल उठना लाज़मी है कि अब उन सैंकड़ों परिवारों का क्या होगा जिनहोने इस अवैध कॉलोनी मे भूखंड खरीद लिए थे?क्या भूमाफियाओं द्वारा उन्हे उनकी जमीन का पैसा लौटाया जाएगा?या फिर उन्हे अन्यंत्र जमीन देने का झांसा दिया जाएगा?या फिर इस जमीन के चक्कर मे अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी गंवा चुके ग्राहक संबन्धित पुलिस थानो के चक्कर लगाते रहेंगे?

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए हैं।

क्या जेडीए करेगा इस जमीन के खातेदारों की खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही?

आपको बता दें कि जेडीए द्वारा पूर्व मे भी कई अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है|देखना यह है कि इस मामले मे भी जेडीए इस अवैध कॉलोनी से संबन्धित खातेदारों की खातेदारी निरस्त करने के लिए कार्यवाही करता है या नहीं?

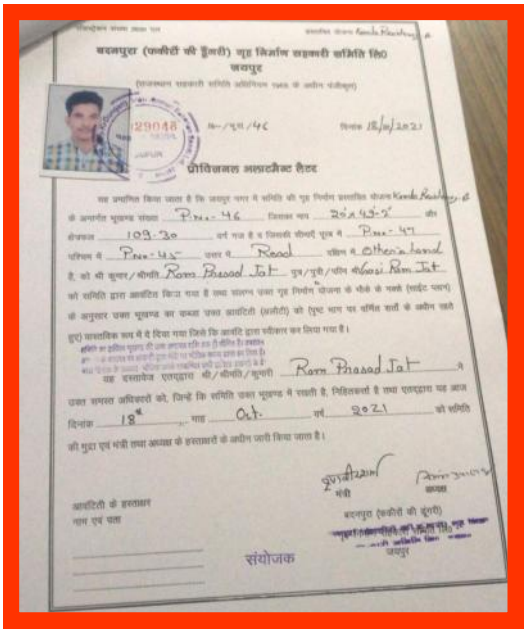

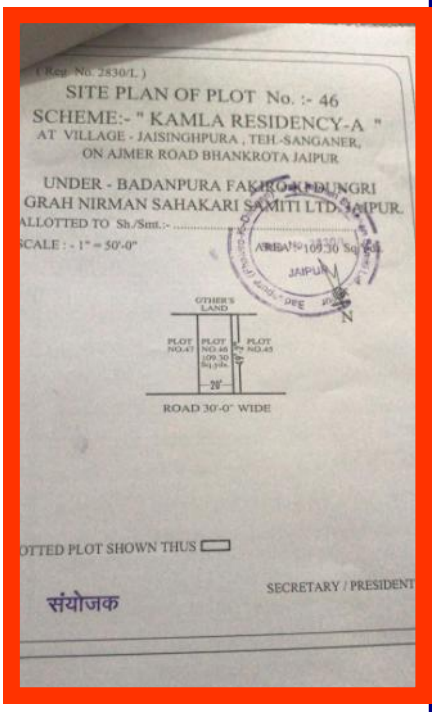

क्या जेडीए करेगा फर्जी पट्टे देने वाले गिरोह पर कार्यवाही?

जेडीए की इस कार्यवाही से यह तो साफ हो गया है कि जिस जमीन पर यह अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी,वह अभी भी कृषि भूमि है|ऐसे मे यह सवाल उठता है कि जिस बदनपुरा(फकीरो की डूंगरी)गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के नाम से इन भूमाफियाओ द्वारा आज की तारीख के प्रोविजनल अलोटमेंट लैटर वितरित किए जा रहे थे,क्या वह अवैध एवं गैर-कानूनी नहीं है?क्या जेडीए इस मामले मे संबन्धित भूमाफियाओ और गृह निर्माण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाएगा?

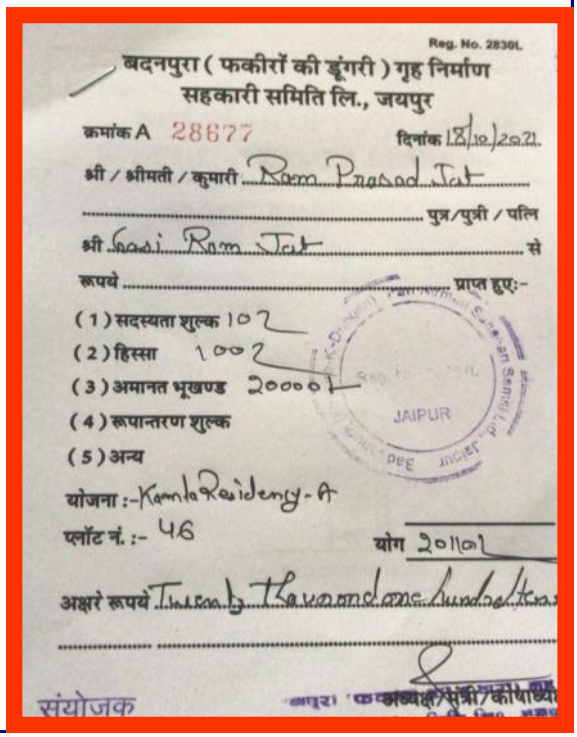

अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?

जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से भूमाफियाओं द्वारा यह अवैध कॉलोनी बसायी जा रही थी,उससे साफ है कि यह इन लोगो की पहली कॉलोनी नहीं थी|ऐसे मे सवाल और उठता है कि अब तक यह भूमाफिया कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है और कितने लोगो को ठग चुके है?